माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०),

निगरानी- 4419/2018/ रीवा/भू.25.

रघुवंश प्रसाद तनय, गैवीनाथ मिश्र निवासी ग्राम - खूटा बेदौलिहान थाना व तहसील हनुमना, जिला रीवा म०प्र० ---- निगरानीकर्ता

बनाम

1-राजेश कुमार पिता श्री कृष्ण केशव प्रसाद ब्रा. ।

2-बृजेश कुमार पिता श्री कृष्ण केशव प्रसाद ब्रा. । दोनो निवासी ग्राम खूटा बेदौलिहान, थाना व तहसील हनुमना जिला रीवा म०प्र०,

------- गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध पारित आदेश अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील हनुमना द्वारा दिनांक 14-06-2018, जो मामला कृमांक 96ए6ए/16-17, मे पारित किया गया ।

=====================================

निगरानी अन्तर्गत धारा 50, म०प्र०भू. रा. संहिता 1959

=====================================

श्री आई.पी. द्विवेदी द्वारा आज दि. 13/7/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 24/7/18 नियत।

रीडर ऑफ कोर्ट 13-7-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

आई.पी. द्विवेदी
एडवोकेट
13/07/18

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 4419/18/रीवा/भूरा **रघुवंश बनाम राजेश**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-08-2018	आवेदक अधिवक्ता श्री आई0पी0 द्विवेदी उपस्थित हुए। उन्हें कायमी पर सुना गया । प्रकरण का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हनुमना के द्वारा पारित आदेश पत्रिका दिनांक 14-06-18 के विरूदध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है उक्त आलोच्य आदेश पत्रिका में अनुविभागीय द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई के लिये तिथि नियत की गई है जिसमें अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर उपलब्ध रहेगा इसलिये इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी में सुनवाई किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । अतः निगरानी में सुनवाई योग्य पर्याप्त आधार नहीं होने से अग्राहय की जाती है । 14/8/18 सदस्य	